



प्रेस विज्ञप्ति

13.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स सोमफाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक, देवनूर रामास्वामी अयंगर वेंकटेश के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 12.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा माननीय न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, संगारेड्डी की अदालत के समक्ष दायर शिकायत के आधार पर मेसर्स सोमफाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की। उक्त शिकायत के अनुसार, मेसर्स सोम फाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड ने जैव-उर्वरकों/जैव-कीटनाशकों के उत्पादन के दौरान उत्पन्न तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए निर्धारित टीएसपीसीबी के अनिवार्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और इस तरह जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1988 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत अपराध किया।

ईडी जांच से पता चला है कि टीएसपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स सोम फाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड को सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र में भेजने से पहले अपशिष्टों के उपचार के लिए पूर्व उपचार संयंत्र स्थापित करना था। हालांकि, कंपनी ऐसा करने में विफल रही और अपेक्षित पूर्व उपचार सुविधाओं के बिना अपना व्यवसाय कर रही थी, जिससे प्रकृति को खतरा हो रहा था और जल और वायु प्रदूषण हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के खिलाफ टीएसपीसीबी द्वारा बंद करने का आदेश पारित किया गया था। ईडी ने पहले जांच के दौरान मेसर्स सोमफाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था और बाद में एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (पीएमएलए) द्वारा कुर्की की पुष्टि की गई थी।

\*\*\*\*\*